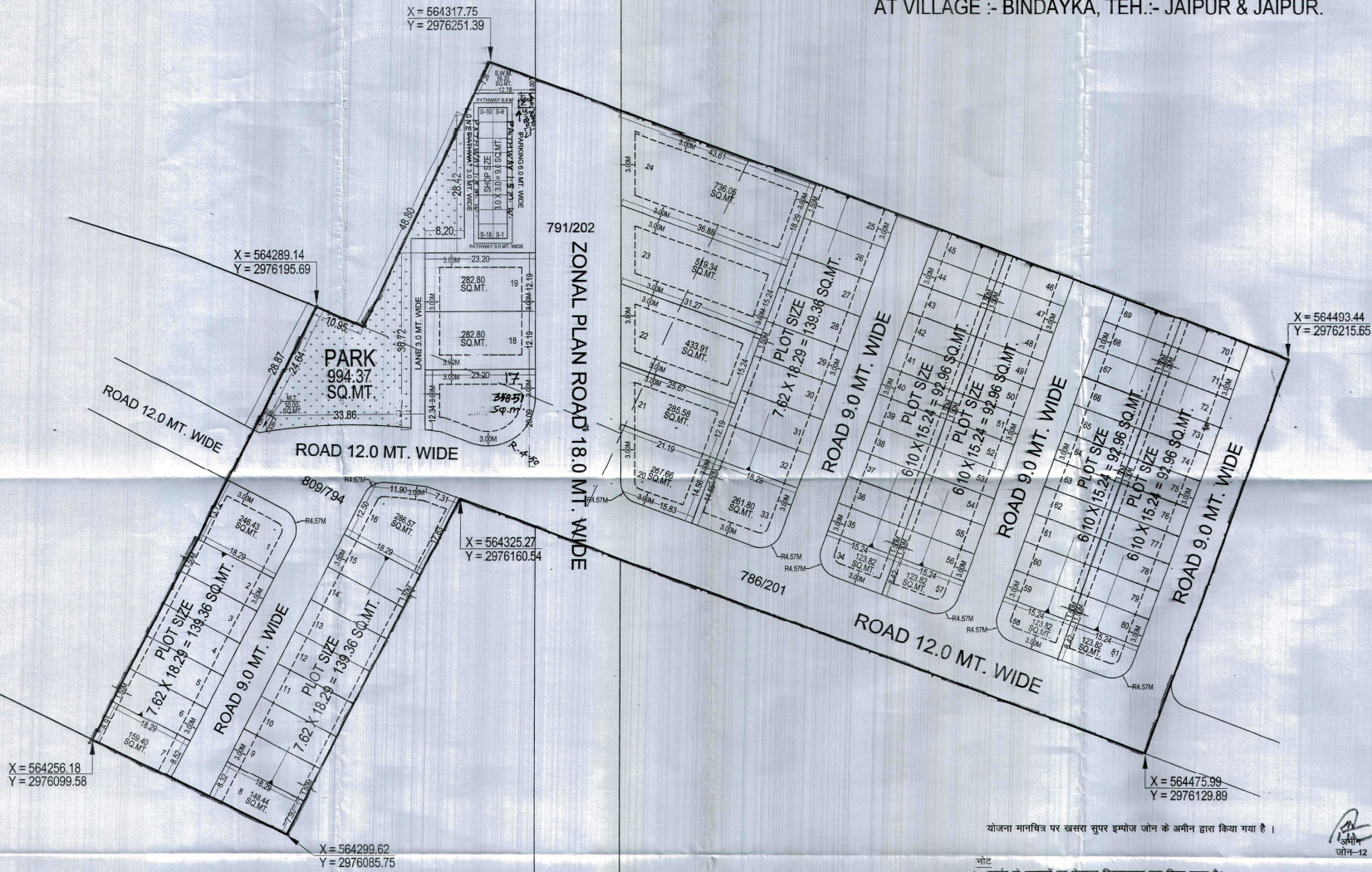


UNDER KHASRA NO.- 786/201, 791/202, 809/794.
AT VILLAGE :- BINDAYKA, TEH.- JAIPUR & JAIPUR.

UNDER KHASRA NO.- 786/201, 791/202, 809/794.
AT VILLAGE :- BINDAYKA, TEH.- JAIPUR & JAIPUR.

$$\begin{array}{r} 945 \\ \times B \\ \hline 27.10.21 \end{array}$$


योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

नोट

1. कार्गन के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
 2. आर्थिक वर्ष को 90^{वां} की कार्यवाही दिनांक 10.08.2021 को हो चुकी है।
 3. योजना की मांग में रा.रा.अ.नि.यम की धारा 90^{वीं} की कार्यवाही प्राथमिक अधिकारी द्वारा एवं चौक पर प्रमाणिकरण तहसीलद्वारा द्वारा किया जा रहा है।
 4. टानशिथिथि पीपलसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एजेंड में अनुमानित विकास भूखण्ड संख्या 22, 24, 25, 46 एवं भूखण्ड संख्या 69 कुल 5 भूखण्डों को क्षेत्रफल 14852.54 वर्गमीटर है, जो जलिया में अनुमानित विकास के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के गेटे रेलवे लाइन है। भूखण्डों को आवंटन/पट्टा किया जा रहा है। विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा करारबद्ध आवंटन प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जायेगा।
 5. योजना का अनुमोदन बीपीसी. (एलपी) की 303 वीं बैठक दिनांक 07.09.2021 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालन में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
 6. योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अंतर्गत भू-उपयोग कॉमर्शियल एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अंतर्गत भू-उपयोग यू-1 (आवासीय) है एवं नगर नियम संख्या में स्थित है।
- योजना मानचित्र टानशिथिथि पीपलसी 2010 के अनुसार जारी किया जाते हैं।
- बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुपालन में योजना के भूखण्ड पर परमिटर एवं सर्वेक्षण जमा (जम्बुपूत नियम नवम) विधियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

सहायक नुस्तर नियोजक

तहसीलदार

उपायुक्ता

वरिष्ठ नगर नियोजक

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

[illegible]